(43)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2018 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 0001/17-18/स्वमेव निगरानी.

---

1. वीरेन्द्र चौरसिया पुत्र स्व. श्री मोतीलाल चौरसिया
   निवासी ग्राम बिलौआ, जिला ग्वालियर
2. श्रीमती राधारानी चौरसिया पत्नी स्व. श्री मोतीलाल चौरसिया
   निवासी ग्राम बिलौआ, तह. डबरा, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री एस.के. अवस्थी एवं श्री विवेक खेडकर, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 22.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 122/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 के निर्देशों के पालन में

अनुविभागीय अधिकारी, डबरा को न्यायालय कलेक्टर, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 52/16-17/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 द्वारा आदेशित किया गया कि ग्राम बिलौआ की विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 3717 का सीमांकन एवं पट्टे से प्राप्त भूमि के संबंध में संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जांचकर यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो पट्टा निरस्ती का प्रस्ताव न्यायालय कलेक्टर को भेजा जावे। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार, वृत्त बिलौआ तहसील डबरा के द्वारा प्रकरण क्र. 92/16-17/बी-121 दर्ज किया जाकर संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करने के उपरांत राजस्व अभिलेख के आधार पर जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2018 तैयार किया गया, जो नायब तहसीलदार के मूल प्रकरण के साथ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर की ओर प्रेषित किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुए प्रकरण क्र. 0001/17-18/स्वमेव निगरानी दर्ज कर दिनांक 22.02.2018 को आदेश पारित किया गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुए दिनांक 22.02.2018 को आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में अनावेदकगण को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर विवादित आदेश पारित किया गया है, जो संहिता की धारा 50 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है, संहिता में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी आदेश को तब तक फेर फारित नहीं किया जायेगाया उलटा नहीं जायेगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा विवादित आदेश को पारित करते समय इस बात की विवेचना नहीं की गई कि आवेदकगण को विधिवत सुनवाई की सूचना दी गई थी। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में स्वयं इस बात का उल्लेख किया गया है कि न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा अनावेदकगणों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने से इस न्यायालय (कलेक्टर) के द्वारा पुन: अनावेदकगण की सुनवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित

होता है कि कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना नहीं दी गई। इस कारण आदेश दिनांक 22.02.2018 निरस्ती योग्य है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की रिट याचिका क्रमांक 122/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2017 में स्वमेव निगरानी प्रारंभ करने हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर को यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त याचिका से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर तीस दिन के भीतर समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर बोलता हुआ आदेश पारित करें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रदर्श पी 4 है। उक्त आदेश के विपरीत जाकर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रारंभ कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये बिना, सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में विवादित आदेश 22.02.2018 पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2018 को आधार मानते हुए स्वमेव निगरानी के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, जबकि भू-राजस्व संहिता में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी के अलावा स्वमेव निगरानी किये जाने का अधिकार नायब तहसीलदार आदि को नहीं है, जबकि आदेश दिनांक दिनांक 22.02.2018 से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कलेक्टर द्वारा विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान न करते हुए आदेश पारित किया है, जो कि निरस्ती योग्य है।

(4) पूर्व में आदेश दिनांक 31.10.1996 तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर विवादित भूमि को शासकीय घोषित किये जाने संबंधित आदेश पारित किया गया था तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2000 एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा दिनांक 07.11.2001 को आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण के पूर्व हितगामी द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 16.07.2004 में यह निर्णय किया गया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश 31.10.1996, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 31.07.2000 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2001 विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाते हैं और भूमिस्वामी का नामांतरण यथावत रखा जाता है। उक्त आदेश की प्रति प्रदर्श पी 12 है।

उक्त आदेश की जानकारी कलेक्टर को प्रारंभ से रही है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता कि उपरोक्त आदेश दिनांक 16.07.2004 अनावेदक के विरूद्ध रेसजूडीकेटा का प्रभाव रखता है। कलेक्टर पुन: उसी भूमि से संबंधित मामले की सुनवाई कानूनन नहीं कर सकता है न ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है। चूंकि उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं की गई, उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। इस कारण से भी स्वमेव निगरानी व आदेश दिनांक 22.02.2018 निरस्ती योग्य है।

(5) उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2018 गलत रूप से कानून की अनदेखी कर मनमाने रूप से पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर का आदेश दिनांक 22.02.2018, नायब तहसीलदार द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2018 एवं उससे प्रारंभ की गई कार्यवाही दिनांक 24.02.2018 निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर नायब तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2018 के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, ग्वालियर का आदेश दिनांक 22.02.2018 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बिलौआ की प्रश्नाधीन भूमि खसरा वर्ष 1974-75 में पहाड़ जंगलात मद में शासकीय दर्ज थी, जो खसरा वर्ष 1975-76 में प्रश्नाधीन भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के प्रकरण क्रमांक का उल्लेख किये फर्जी तरीके से तत्समय पदस्थ पटवारी द्वारा होतमसिंह पुत्र रघुवर सिंह को अपरोक्ष रूप से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय पट्टेदार के रूप में अंकित कर दी गई, उक्त प्रश्नाधीन शासकीय भूमि का कोई विधिक पट्टा जारी नहीं हुआ है। अत: उसका भूमिस्वामी हक भी वैधानिक नहीं है। इस प्रकार कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा राजस्व अभिलेख में अंकित भूमिस्वामियों की प्रविष्टि को

विलोपित करते हुए उक्त प्रश्नाधीन शासकीय भूमि को आदेश दिनांक 25.03.1988 के पूर्व की स्थिति कायम कर पुन: शासकीय मद में दर्ज किये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर